

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

शुद्धि -पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-974, दिनांक-12.03.2018 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न रूप से पढ़ा जाए:-

1. कंडिका-1:-औद्योगिक क्षेत्र बेला, मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना के निमित्त भवनों के जीणोद्धार, 96 नए शेड का निर्माण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु बियाडा से प्राप्त संशोधित अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू0 1432.61 लाख (मात्र चौदह करोड़ बत्तीस लाख एकसठ हजार रू0) की प्रशासनिक तदनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. संदर्भित लेदर गुड्स पार्क के डी0पी0आर0 को बियाडा अपने स्तर से सर्वश्री पी0डब्ल्यू0सी0 से तदनुसार संशोधित करा लेगी।
3. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0),बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....22.11.18

ज्ञापांक-4107

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंधक निदेशक, बियाडा, पटना/ प्रबंधक निदेशक, आयडा, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ संयुक्त उद्योग निदेशक (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01(सरकार) आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-सं०सं०-०२/३०नि०/यात्रा(क्लस्टर)-२८-०३/२०१७.....

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना के निमित्त भवनों के जीर्णोद्धार, १७३ नए शेड के निर्माण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु बियाडा से प्राप्त अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में कुल रू० १४,९३,७६,०००/- (मात्र चौदह करोड़ तिरानवे लाख छिहत्तर हजार रूपए) के योजना की प्रशासनिक तदनुसार व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-१३.०२.१८ को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तदोपरान्त ज्ञापांक-६४६, दिनांक-१५.०२.१८ द्वारा निर्गत कार्यवाही के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना के निमित्त भवनों के जीर्णोद्धार, १७३ नए शेड के निर्माण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु बियाडा से प्राप्त अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में कुल रू० १४,९३,७६,०००/- (मात्र चौदह करोड़ तिरानवे लाख छिहत्तर हजार रूपए) के योजना की प्रशासनिक तदनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. प्रस्ताव में माननीय मंत्री उद्योग विभाग का अनुमोदन सं०सं०-०२/३०नि०/ यात्रा (क्लस्टर)-२४-०२/२०१७ के पृष्ठ सं०-८५ टि० पर प्राप्त है।

३. लेदर गुड्स पार्क की स्थापना से संबंधित प्रस्तावित योजना का कार्य बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कराया जाएगा।

४. लेदर गुड्स पार्क के लिए निर्माण/ जीर्णोद्धार/ अनुरक्षण संबंधी कार्य भवन निर्माण विभाग के अधिसूचित दर पर किया जाएगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने की पूर्ण जवाबदेही बियाडा की होगी।

५. लेदर गुड्स पार्क के लिए सामग्रियों/ मशीन एवं उपकरणों के क्रय तथा उत्पादन पूर्व विविध कार्य हेतु राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

६. चूंकि यह योजना कम्पोजिट व्यय के लिए स्वीकृत की जा रही है, अतएव स्वीकृत योजना के अंतर्गत एक मद की अवशेष राशि का व्यय आवश्यकतानुसार अन्य मद में किया जा सकेगा जिसके लिए औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर लेनी होगी।

७. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में मांग सं०-२३ के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- २६५२-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष- ८०-सामान्य, लघुशीर्ष- १०२-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष- ०१६३-व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विषय शीर्ष-०१६३.३१.०५ सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड-२३-२६५२८०१०२०१६३ के अंतर्गत उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ-२

8. इस राशि के निगरानी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के जोड़ल पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

9. इस राशि की निगरानी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से पी०टी०सी० फार्म सं०-46 पर होगी।

10. इस राशि की निगरानी कर आयडा, पटना के पी०एल० खाता सं०-PLA 208 में उपलब्ध कराई जाएगी।

11. प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना द्वारा कराए गए कार्य के अभिभव के आधार पर आयडा द्वारा पी०एल० खाता से राशि की निगरानी कर भुगतान किया जाएगा।

12. इस राशि की निगरानी में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृष्ठ-90/टि० पर प्राप्त है।

14. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-2/30नि०/याना (क्लस्टर)24-02/17 के पृष्ठ संख्या-89/टि० में प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक.....

ज्ञापांक...../

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक.....12.03.18

ज्ञापांक.....974

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/ प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं प्रशाखा-05 उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01(सरकार)/ आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

1/3